

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42.— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मसी (बी.फॉर्मसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मसी (डी.फॉर्मसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् -

1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मसी (बी.फॉर्मसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मसी (डी.फॉर्मसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, 2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें— इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा -

- (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) 'पीसीआई' से अभिप्रेत है, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (3) 'संचालक' से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (5) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (6) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (7) 'पीपीएचटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा बी.फार्मसी एवं डी.फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य पवेश परीक्षा, प्री फार्मसी टेस्ट।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण— बैचलर ऑफ फॉर्मसी एवं डिप्लोमा फॉर्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—

- (1) चार वर्षीय बी.फार्मसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दातिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। बी.फार्मसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।
- (2) द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण।

तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

- (3) बैचलर आफ फॉर्मसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मसी में द्विवर्षीय फार्मसी डिप्लोमा उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा -

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
 (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. प्रावीण्यता सूचियाँ-

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी -
 (क) पीपीएचटी प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची पीपीएचटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 (ख) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 (ग) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा फार्मसी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. काउंसिलिंग- सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. सीट आबंटन का क्रम-

- (1) बी. फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु- बी.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 (2) डी. फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु -
 (अ) डी. फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 (3) बी. फार्मसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु- बी. फार्मसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश-

- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक हागा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
 - (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— पीसीआई/संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
 11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
 12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
 13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
 14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
 15. **निरसन एवं व्यावृत्ति** — इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव.

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs, namely:—

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called "Admission Rules for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs for Institutions of Chhattisgarh, 2023".
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) 'PCI' means the Pharmacy Council of India, New Delhi;
- (3) 'Director' means the Director, Technical Education, Chhattisgarh, Nava Raipur, Atal Nagar;
- (4) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (5) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;

- (6) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (7) 'PPHT' means the Pre-Pharmacy Test, the State Level Common Entrance Examination, conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar, for the purpose of determining the merit for admission to B.Pharmacy and D.Pharmacy programs;
- (8) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.
3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.
4. **Educational Qualification for Admission.** -
- (1) For admission to the four-year B.Pharmacy degree program - passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/Biotechnology/Biology subjects as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board. For admission to B. Pharmacy, it is mandatory to have English as one of the subjects in class 12th.
- (2) For admission to two-year Diploma in Pharmacy program - passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/ Biotechnology/ Biology as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.
- (3) For admission to Bachelor of Pharmacy (Lateral Entry Second Year) - passed two years Diploma in Pharmacy from a recognized Board/University/Institution with at least 45% marks for unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disability of Chhattisgarh.
5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -
- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.
6. **Merit Lists.** -
- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
- (a) PPHT Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of the percentage of marks scored in PPHT.
- (b) Class 12th Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of the percentage of aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biotechnology/Biology as compulsory three subjects in 12th examination.
- (c) Lateral Entry Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of total marks obtained in the final year of Diploma in Pharmacy examination.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.-** Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.
8. **Order of seat allotment.-**
- (1) For admission to B.Pharmacy Program- Allotment of seats for admission to the B.Pharmacy program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (2) For admission to D. Pharmacy Program-
- (A) Allotment of seats for admission to the D. Pharmacy Program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (B) After allotment of the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (3) For admission to B. Pharmacy (Lateral Entry 2nd year) Program- Allotment of seats for admission to B. Pharmacy (Lateral Entry Second Year) program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-**
- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
10. **Last date of Admission.-** The date fixed by PCI/Director for admission shall be considered as the last date for admission.
11. **Cancellation of Admission.-** If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
13. **Amendment.-** State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.